

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2014—फाल्गुन 7, शक 1935

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्र. एफ-4-4-2013-चौवन-2.—वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (1)(ग) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री आरिफ बेग, अध्यक्ष, अंजुमन, अमन दोस्त, ईसान दोस्त, दिल्ली को सदस्य के रूप में नामांकन करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.